प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर

प्र. ई. रि. स. – 34/2023 दिनांक – 9/2/2023

2. (अ) अधिनियम – **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धाराये – 7**

(ब) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(स) अधिनियम – ..... धाराये – .....

(द) अन्य अधिनियम – धाराये – ....

3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 163 समय – 5:20 P.M.

ब. अपराध के घटने का दिन – बुधवार, दिनांक – 08.02.2023 समय – 01.24 पी.एम.

स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 06.02.2023 समय – 12.15 पी.एम.

4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – टाईपशुदा।

5. घटना स्थल –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख पश्चिम लगभग 145 किलोमीटर

(ब) पता :– रोड़वेज डीपो नागौर के पास वाली गली

बीट संख्या जरायमदेही संख्या

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो

पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी का नाम

1. (अ) नाम – श्री हरीप्रसाद वैष्णव (ब) पिता/पति का नाम – बजरंगलाल

(स) जन्म तिथि/वर्ष – 39 वर्ष (द) राष्ट्रीयता – भारतीय

(य) व्यवसाय – बसों व्यवसाय (र) पता – ग्राम रोल जिला नागौर हाल राजनगर डीडवाना रोड़ नागौर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–

श्री गोपालराम पुत्र श्री रामदेवराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम ढींगसरी तहसील लाडनु पुलिस थाना लाडनु जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज डीपो नागौर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– नही

9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य

10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 20000/–रूपये**

11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)..... कोई नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट.....

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जोधपुर

विषयः– रिश्वत मांगने वाले सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ाकर कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मैं हरीप्रसाद वैष्णव पुत्र श्री बजरंग लाल जाति वैष्णव उम्र 39 निवासी ग्राम रोल जिला नागौर हाल राजनगर डीडवाना रोड़ नागौर का निवेदन है कि हमारी एक फर्म अनहद ट्रैवल्स के नाम से पंजीकृत है। हमारी उक्त फर्म की 7 बसे नागौर डीपो से अनुबन्धित है तथा विभिन्न रूटो में चलती है। उक्त फर्म के हम चार भागीदार है तथा नागौर डीपो से अनुबन्धित बसों का समस्त मैन्जमेन्ट कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है। जिसके लिये मेरे को लिखित में पॉवर दे रखा है। मेरी उक्त अनुबन्धित बसो को सुचारू रूप से चलने देने एवं बार–बार रूट नहीं बदलने की ऐवज में दो माह पूर्व श्रीमती उषा आर चौधरी चीप मैनेजर नागौर डीपो अपने अधिनस्त लेखाधिकारी श्री गोपालराम मण्डा के मार्फत मन्थली के रूप में दो माह के 30000/–रूपये मांगे। मेरे द्वारा उक्त राशि उन्हे नहीं देने पर मेरे को अनावश्यक नोटिस जारी कर एवं मेरी गाड़ियों का रूट बार–बार बदलने पर मजबूरीवश मैंने उक्त 30000/–रूपये श्री गोपालराम मण्डा के सामने श्रीमती उषा आर चौधरी डीपो मैनेजर को दिये। अब दो माह व्यतीत हो जाने पर श्री गोपालराम मण्डा ने अपने व श्रीमती उषा आर चौधरी के लिये मनथली के रूप में 30000/–रूपये की ओर रिश्वत की मांग करने पर मेरे द्वारा उक्त राशि ज्यादा होना एवं कुछ राशि कम करने की विनती करने पर श्री गोपालराम मण्डा ने अपने लिये एवं श्रीमती उषा आर चौधरी चीप मैंनेजर के लिये मनथली के रूप में 20000/– रूपये रिश्वत मांग रहा है। मैं मेरे जायज काम की ऐवज में श्रीमती उषा आर चौधरी एवं श्री गोपालराम मण्डा को रिश्वत नहीं देकर उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़वाकर कानूनी कार्यवाही करवाना चाहता हूं। मेरी श्रीमती उषा आर चौधरी एवं श्री गोपालराम मण्डा से कोई दूश्मनी या लेन–देन बकाया नहीं है। रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावें।

संलग्न– आधार कार्ड की फोटो प्रति
फर्म द्वारा दिये गये पॉवर की फोटो प्रति

दिनांकः– 06.02.2023

भवदीय
एसडी/
(हरीप्रसाद वैष्णव)
पिता का नाम– बजरंगलाल
निवासी ग्राम रोल जिला नागौर हाल राजनगर
डीडवाना रोड़ नागौर मोबाईल नं.
9829026484

एसडी मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस
दिनांक 06.02.2023

एसडी श्री गौरव कुमार
दिनांक 07.02.2023
एसडी श्री लोकेश चान्दोरा
दिनांक 07.02.2023

कार्यवाही पुलिस
दिनांक 06.02.2023 समय 12.15 पी.एम.

परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव पुत्र श्री बजरंग लाल जाति वैष्णव उम्र 39 निवासी ग्राम रोल जिला नागौर हाल राजनगर डीडवाना रोड़ नागौर ने ब्यूरो चौकी जोधपुर शहर के पास उपस्थित आकर अपने मोबाईल नम्बर 9829026484 से मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9530292476 पर फोन कर बताया कि मै आपके कार्यालय के नीचे अपनी गाड़ी में बैठा हूं। मेरा ऐक्सीडेन्ट होने के कारण मेरे पैर में फैक्चर होने के कारण मैं आपके कार्यालय मे उपर नहीं आ सकता हूं। मुझे सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवानी है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस कार्यालय से नीचे पहुंचकर नहीं अपनी गाड़ी में बैठे परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव से मिला एवं उन्हे उनकी गाड़ी सहित श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के कार्यालय में ले जाया गया जहां पर परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव ने मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को एक टाईपशुदा उपरोक्त तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर दरियाफ्त पर पूछने पर बताया कि रिपोर्ट में अंकित समस्त तथ्य सही है तथा साथ ही बताया कि श्रीमती उषा आर चौधरी चीप डीपो मैनेजर नागौर बहुत शातिर एवं भ्रष्ट अधिकारी है जो रिश्वत के बारे में सीधी बात नहीं कर अपने अधिनस्थ लेखाधिकारी श्री गोपालराम मण्डा के मार्फत ही रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त करती है। मेरे द्वारा रिश्वत राशि नहीं देने पर मुझे बेवजह श्रीमती उषा आर चौधरी द्वारा नोटिस आदि देकर परेशान किया जा रहा एवं मेरी गाड़ियों के रूट बार–बार बदलकर परेशान किया जा रहा है। मैं श्रीमती उषा आर चौधरी व श्री गोपालराम मण्डा को रिश्वत राशि नहीं देना चाहता। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं व मजीद दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के तहत होना पाया जाने पर डॉ. दुर्गसिंह राजपुरोहित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर अतिरिक्त कार्यभार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर को समस्त हालात जरिये फोन निवेदन कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाना एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लेकर कार्यालय के कानिस्टेबल श्री अर्जुनसिंह नं. 319 को जरिये फोन श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस के कार्यालय में मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर के उपस्थिति प्राप्त की गई। कानिस्टेबल श्री अर्जुनसिंह को बुलाने के मन्तव्य से अवगत कराकर कानि. अर्जुनसिंह व परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव का आपस में परिचय करवाकर दोनों का वॉयस रिकार्डर के संचालन की विधि समझाई गई। तत्पश्चात कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्विच ऑफ शुदा अर्जुनसिंह कानि. नं. 319 को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव के साथ आवश्यक हिदायत देकर परिवादी के निजी वाहन मय चालक के नागौर की तरफ रवाना किया गया। वक्त 04.13 पी.एम पर कानि. श्री अर्जुनसिंह ने जरिये फोन मन् निरीक्षक पुलिस को बताया कि परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव व संदिग्ध अधिकारी श्री गोपालराम मण्डा की रिश्वति राशि मांग के क्रम में वार्ता हो गई है जो ब्यूरो के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है तथा रिश्वत राशि लेन–देन कल दिनांक 07.02.2023 को होना तय हुआ है साथ ही कानि. ने बताया कि परिवादी रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था करने हेतु रूकना चाहा रहा है जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने कानि. के फोन पर परिवादी से वार्ता कर रिश्वति राशि मांग के क्रम में हुई वार्ता के क्रम में विस्तृत हालात पुछे गये एवं आवश्यक हिदायत के साथ निर्देशित किया गया कि संदिग्ध अधिकारी को दी जाने वाली रिश्वति राशि की व्यवस्था कर राशि साथ लेकर कल दिनांक 07.02.2023 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर पहुंचने हेतु पाबन्द किया। तत्पश्चात् जरिये तहरीर एवं टेलीफोन के सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर को दो स्वतन्त्र गवाहान भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया। वक्त 06.05 पी.एम. पर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दो कार्मिक ब्यूरो कार्यालय में मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये जिन्हे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर उनका परिचय पुछने पर उन्होने अपना परिचय श्री गौरव कुमार पुत्र श्री पुरणसिंह जाति राव उम्र 32 वर्ष पेशा नौकरी निवासी चौधरी छात्रावास के सामने मारवाड़ जक्शन जिला पाली हाल सूचना सहायक जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नं. 8290155142 एवं श्री लोकेश चान्दोरा पुत्र श्री कानचन्द चान्दोरा जाति प्रजावत उम्र 45 वर्ष पेशा नौकरी निवासी ए–86 श्रमिकपुरा मसुरिया जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर मोबाईल नं. 9414575085 होना बताया। जिस पर दोनो कार्मिकों को बुलाने के मन्तव्य से बताकर कल दिनांक 07.02.2023 को प्रातः 08.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने के लिये पाबन्द कर आवश्यक हिदायत के साथ रूखस्त किया गया। वक्त 07.50 पी.एम. पर कानि. श्री अर्जुनसिंह रिश्वति राशि मांग सत्यापन में परिवादी श्री हरीप्रसाद के साथ गया हुआ पुनः उपस्थित आया एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं व परिवादी श्री हरीप्रसाद आपके निर्देशानुसार परिवादी के प्राईवेट वाहन से रवाना होकर रोजवेज डिपो कार्यालय नागौर के पास पहुंचे। जहां पर मैंने परिवादी को आवश्यक हिदायत के साथ कार्यालय से साथ लाया डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर संदिग्ध अधिकारी श्री गोपालराम मण्डा लेखाधिकारी से रिश्वति राशि मांग सत्यापन के क्रम में वार्ता करने हेतु उनके निजी वाहन मय चालक के रोड़वेज डिपो कार्यालय की तरफ रवाना किया। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए कार्यालय के बाहर परिवादी के लौटने के

इन्तजार में व्यस्त हुआ। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव अपने वाहन मय चालक के मेरे पास पुनः उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मुझे सुपुर्द किया जिसका मैंने स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया कि श्री गोपालराम मण्डा लेखाधिकारी को मैंने फोन कर अपनी गाड़ी में ही बुलाकर रिश्वत राशि मांग के क्रम में वार्ता की तो वार्ता के दौरान उसने मेरे से मेरे जायज कार्य की एवेज में अपने लिये व डीपो मैनेजर श्रीमती उषा आर चौधरी के लिये रिश्वत राशि की मांग की है। उक्त वार्ता डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है तथा मांगी गई रिश्वति राशि कल दिनांक 07.02.2023 को लेना तय हुआ। मेरी टेलीफोनिक एवं रूबरू श्री गोपालराम मण्डा से हुई वार्ता के दौरान मेरे वाहन का चालक आपके निर्देशानुसार वाहन से दूर जाकर खड़ा रहा। जिस पर आपने मेरे फोन से ही परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव से वार्ता कर विस्तृत पुछताछ की थी। तत्पश्चात आपके निर्देशानुसार परिवादी को राशि की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक हिदायत के साथ रूखस्त कर मैं उपस्थित आया हूं जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी द्वारा फोन पर एवं कानि. द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद होकर आरोपी श्री गोपालराम मण्डा द्वारा परिवादी श्री हरीप्रसाद से उनकी डिपो से अनुबन्धित बसों को निर्बाध संचालन होने देना एवं बसो का रूट बार–बार नहीं बदलने की ऐवज में अपने लिये प्रति बस 200 रूपये एवं डीपो मैनेजर श्रीमती उषा आर चौधरी के लिये प्रति माह 10000/–रूपये के हिसाब से दो माह के 20000/–रूपये रिश्वति राशि मांगने की पुष्टि हुई। दिनांक 07.02.2023 वक्त 09.15 को पूर्व से पाबन्दुशदा परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव ब्यूरो कार्यालय के नीचे उपस्थित आकर मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये फोन उपस्थित होने बाबत सूचित किया। इसी दरम्यान पूर्व से पाबन्दशुदा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से दोनो कार्मिक उपस्थित आये। चुकि ब्यूरो कार्यालय भवन के प्रथम तल पर स्थित होने एवं परिवादी के पैर में फैक्चर होने के कारण परिवादी का कार्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्नक, कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर, सोडियम कार्बोनेट पाउडर की शीशी एवं दोनो गवाहान को साथ लेकर मन् निरीक्षक पुलिस कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के वाहन के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी व परिवादी के वाहन का चालक वाहन में बैठे उपस्थित मिले। जिस पर दोनो कार्मिक को परिवादी के वाहन में बैठाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो कार्मिक, परिवादी के वाहन से ही कचहरी परिसर स्थित ही श्रीमान उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर के कार्यालय पास पहुंच परिवादी का वाहन मय चालक को पार्किंग में खड़ा करवाकर परिवादी को अपने साथ लेकर श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के कार्यालय कक्ष के सामने बने कमरे को खाली होना सुनिश्चित कर अग्रिम कार्यवाही उक्त कमरे के में करने हेतु पहुंचे। जहां पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से आरोपी श्री गोपालराम से कल दिनांक 06.02.2023 को रिश्वत राशि मांग के क्रम में हुई वार्ता के सम्बन्ध में आवश्यक पुछताछ करने पर परिवादी ने जरिये फोन बताये गये तथ्यों की ताईद की। तत्पश्चात् परिवादी व दोनो कार्मिकों का आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दोनो कार्मिको को पढाया गया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर में परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव एवं संदिग्ध अधिकारी श्री गोपालराम मण्डा के मध्य दिनांक 06.02.2023 को मांग सत्यापन के दौरान हुई वार्ता के मुख्य अंश गवाहान को सुनाये गये। दोनो कार्मिकों द्वारा परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्यों एवं रिकार्ड वार्ता को सुनकर सन्तुष्टी जाहिर करते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति दी गई। जिस पर दोनो गवाहान से परिवादी की रिपोर्ट पर दिनांकित हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 09.50 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक कार्यालय के मालखाना से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी लेकर उपस्थित आया जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री हरिप्रसाद वैष्णव पुत्र श्री बजरंगलाल जाति वैष्णव उम्र 39 साल निवासी गांव रोल द्वारा रिश्वत मे दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री हरिप्रसाद ने भारतीय मुद्रा के पाँच सौ रूपयें के 40 नोट कुल राशि 20,000 रूपये पेश किये। परिवादी श्री हरिप्रसाद द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबर निम्नानुसार हैः–

1.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 RQ 966108
2.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 FQ 260247
3.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 AM 537985
4.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 MD 510654
5.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 LD 473438
6.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 RN 115301
7.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 HD 845238
8.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 LM 879831
9.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 GD 638510
10.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 AF 308780
11.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 CL 906338
12.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 AE 368143
13.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 MK 059359

14.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 EC 450838
15.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 UP 433950
16.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 MQ 573197
17.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 EL 828200
18.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 KU 021727
19.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 SP 578178
20.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 CT 100854
21.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 BN 152118
22.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 TT 395666
23.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 ES 420136
24.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 FE 616428
25.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 VR 377447
26.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 SU 027207
27.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 AE 809565
28.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 BV 411367
29.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	6 BB 750174
30.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 QN 146045
31.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 FV 172353
32.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 HQ 700364
33.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 DU 859121
34.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 LW 632596
35.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 EV 626987
36.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 TP 956646
37.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 HL 936745
38.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 EL 427449
39.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 HW 145984
40.	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 CM 458366

श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से 20,000 रूपये के नोटो को अखबार पर रखवाकर नोटो पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री हरिप्रसाद की जामा तलाशी गवाह श्री गौरव कुमार से लिवाई जाकर मोबाईल फोन नम्बर 9829026484 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त 20,000 रूपये जो श्री गोपाल मण्डा को दी जानी है, की राशि के नोटों को परिवादी श्री हरिप्रसाद के पहने हुए लोवर की दाहिनी जेब में श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री हरिप्रसाद को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि निकाल कर देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे। ट्रेप पार्टी को देखकर अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ दो बार फेर या मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर रिश्वती राशि आदान–प्रदान होने की सूचना करें। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान तथा परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर पाउडर लगाने वाली श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया जाकर जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाले श्री गणेशराम पंवार वरिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर ब्यूरो चौकी के लिये रवाना किया। तत्पश्चात वक्त 10.40 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री मेघराज हैडकानि. नं. 63, श्री प्रकाश कानि. 271 मय सरकारी वाहन संख्या आर जे 14 युसी 8906 के ब्यूरो कार्यालय जोधपुर शहर उपस्थित आये एवं मन् निरीक्षक पुलिस को उपस्थिति के बारे में जरिये फोन सुचित किया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस को साथ लाये जाबते सहित ब्यूरो चौकी जोधपुर शहर में पाबन्दशुदा

उपस्थित जाब्ते को मय सरकारी वाहन टवेरा नं. आर जे 14 युसी 8906 मय ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, लैपटॉप मय प्रिन्टर के कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर पहुंचने हेतु अनुरोध किया। कुछ समय पश्चात् श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर हैडकानि. 56, श्री मेघराज हैडकानि. नं. 63,श्री प्रकाश कानि. 271, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री अर्जुनसिंह कानि. 319, श्रीमती सीता महिला कानि. नं. 172, श्री भरत डुकिया कनिष्ठ लिपिक मय सरकारी वाहन संख्या आर जे 14 युसी 8906 के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, लैपटॉप मय प्रिन्टर के कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में उपस्थित आये। जिन्हें मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आवश्यक ब्रिफिंग किया गया। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव को उनके निजी वाहन मय चालक एवं ब्यूरो जाब्ता श्री रामकिशोर हैडकानि. व श्री मेघराज हैडकानि., श्री गौरव कुमार के आवश्यक हिदायत के साथ नागौर की तरफ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस व स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश चान्दोरा एवं उपरोक्त ब्यूरो जाब्ता एवं ट्रेप सामग्री के मेरे निजी वाहन एवं सरकारी वाहन से नागौर की तरफ रवाना हुए। वक्त 02.19 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस समस्त हमरायान के नागौर रोडवेज डीपो के पास पहुंचे जहां पर परिवादी को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा आवश्यक समझाईश कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द किया एवं आरोपीगण श्री गोपालराम मण्डा व श्रीमती उषा आर चौधरी से रिश्वति राशि का लेन–देन करने हेतु पूर्व से तय अनुसार परिवादी के निजी वाहन से रोडवेज डिपो कार्यालय के सामने भेजा गया। मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान ने अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए वाहनों में एवं बाहर खड़े रहकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। वक्त 02.28 पी.एम. पर परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव ने मन् निरीक्षक पुलिस को जरिये फोन बताया कि आरोपी श्री गोपालराम मण्डा से मेरी फोन पर वार्ता हुई है। वार्ता के दौरान आरोपी श्री गोपालराम मण्डा ने अपना जोधपुर होना बताया है एवं कल मिलने को कहा है। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस परिवादी के वाहन के पास पहुंचकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा एवं परिवादी को जोधपुर बाईपास ब्रिज के पास पहुंचने हेतु निर्देशित कर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के सरकारी व निजी वाहनों से नियत स्थान जोधपुर बाईपास ब्रिज के लिये रवाना होकर नागौर स्थित जोधपुर बाईपास ब्रिज के पास पहुंचा। जहां पर परिवादी अपने वाहन सहित उपस्थित मिला परिवादी से आवश्यक पुछताछ कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आज सम्भव नहीं होने के कारण पूर्व में परिवादी के पहने लोवर की दाहिनी जेब में रखवाई गई फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वति राशि को गवाह श्री गौरव कुमार से निकलवाकर सफेद लिफाफे में डलवाकर रिश्वति राशी रखा लिफाफा मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखा। परिवादी को आवश्यक हिदायत देकर निर्देशित किया गया कि कल दिनांक 08.02.2023 को जरिये टेलीफोन जगह तय करने पर उपस्थित मिले। ताबाद परिवादी को आवश्यक हिदायत के साथ रूखस्त कर मन् निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान, ट्रेप सामग्री एवं रिश्वति राशि का लिफाफा लेकर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर के लिये सरकारी व निजी वाहनों से रवाना होकर ब्यूरो कार्यालय जोधपुर पहुंचे जहां पर रिश्वति राशि रखा लिफाफा एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय दस्तावेज अपनी अलमारी में सुरक्षित रख कर अलमारी के ताला लगाया जाकर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी। दिनांक 08.02.2023 को वक्त 06.52 ए.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने मोबाईल नं. 9530292476 से परिवादी के मोबाईल नं. 9829026484 पर वार्ता कर करीब 12.15 पी.एम. पर नागौर स्थित जोधपुर बाईपास ब्रिज के पास उपस्थित मिलने हेतु पाबन्द किया। तत्पश्चात वक्त 08.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री लोकेश चान्दोरा, श्री गौरव कुमार कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। वक्त 09.50 ए.एम. पर मन् मनीष निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय की अलमारी का ताला खोलकर उसमें रखी रिश्वत राशि 20,000/–रूपये का लिफाफा गवाह श्री गौरव कुमार से निकलवाया जाकर आवश्यक हिदायत के साथ उनके पास सुरक्षित रखवाया गया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं समस्त दस्तावेज अलमारी से निकालकर अपने पास रखे जाकर मन् निरीक्षक पुलिस हमरा श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर हैडकानि. 56, श्री मेघराज हैडकानि. नं. 63, श्री प्रकाश कानि. 271, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री अर्जुनसिंह कानि. 319, श्रीमती सीता महिला कानि. नं. 172, श्री भरत डुकिया कनिष्ठ लिपिक मय सरकारी वाहन संख्या आर जे 14 युसी 8906 एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक ट्रेप सामग्री, लैपटॉप मय प्रिन्टर आदि साथ लेकर नागौर के लिये रवाना होकर वक्त 12.23 पी.एम. पर नागौर स्थित जोधपुर बाईपास ब्रिज के पास पहुंचे। जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव अपने वाहन मय चालक के उपस्थित मिला। जहां पर गवाह श्री गौरव कुमार के पास रखी रिश्वति राशि 20000/–रूपये का लिफाफा जिसमें से रिश्वति राशि 20000/–रूपये निकलवाकर परिवादी के श्री हरीप्रसाद वैष्णव के पहने हुए लोवर की दाहिनी जेब में रखवाये जाकर लिफाफे को जलवाकर नष्ट करवाया गया एवं गवाह श्री गौरव कुमार के हाथ साथ लाये साबुन व साफ पानी से से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री अर्जुनसिंह कानि. को डिजीटल वॉयस रिकार्डर सुपुर्द कर हिदायत दी गई आप परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव के साथ रोड़वेज डीपो के पास पहुंचकर वाहन एक तरफ खड़ा करवाकर डिजीटल वॉयस रिकार्डर ऑन कर परिवादी को सुपुर्द करे तथा वाहन चालक एवं आप अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाकर खड़े हो जाये एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देश का इन्तजार करें साथ ही परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव को हिदायत की गई की आप आरोपी श्री गोपालराम को फोन कर अपनी गाड़ी में बुलाकर रिश्वत राशि का लेन–देन करे व

लेन–देन होने जाने के बाद गाड़ी का अपनी तरफ का गेट खोलकर – बन्द कर गोपनीय ईशारा करे। ताकि यह सुनिश्चित हो सके की रिश्वति राशि का लेन–देन हो चुका है। ताबाद परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव, श्री अर्जुनसिंह कानि. को परिवादी के निजी वाहन मय चालक के रोड़वेज डीपो कार्यालय नागौर की तरफ रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ब्यूरो जाब्ता के मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन एवं सरकारी वाहन से रवाना होकर रोड़वेज डीपो कार्यालय नागौर के पास पहुंचे। जहां मन् निरीक्षक पुलिस अपने निजी वाहन में हमराह श्री राजेन्द्रसिंह निरीक्षक पुलिस, श्री रामकिशोर हैडकानि. व दोनो स्वतन्त्र गवाहन के बैठे रहकर अपनी पोजीशन ली तथा कानि. श्री छैलाराम को गोपनीय स्थान पर परिवादी की गाड़ी के आगे थोड़ी दूरी पर पोजीशन लिरवाई तथा अन्य जाब्ता मय सरकारी वाहन को आवश्यक हिदायत के साथ गोपानीय स्थान पर खड़ा करवाया जाकर परिवादी के गोपनीय ईशारे का इन्तजार किया। वक्त 1.24 पी.एम. पर परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव ने रोडवेज डीपो के पास वाली गली में अपनी निजी कार में बैठे हुए गाड़ी का दरवाजा खोलकर पुनः बन्द कर पूर्व निर्धारित गोपनीय ईशारा किया जिस पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस हमराह उपरोक्त दोनो मौतबिरान मय ब्यूरो टीम के निजी कार से परिवादी की गाड़ी के पास पहुंचे। जहां पर परिवादी ने अपने गाड़ी का साईड वाला ग्लास उतार कर पूर्व में दिया गया डिजीटल वायस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया जिसका स्वीच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री हरीप्रसाद ने गाड़ी के पास ही खड़े व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक है जिन्होंने अभी–अभी मेरे से बतौर रिश्वत राशि 20000/–रूपये अपने व रोडवेज डीपो मैनेजर श्रीमती उषा आर चौधरी के लिये मांग कर प्राप्त किये है जो राशि इन्होने अपने पहनी हुई जैकेट के अन्दर की बायी जेब में रख गाड़ी के पास खड़ हुए जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस दोनो स्वतन्त्र गवाहान का परिचय परिवादी के निजी वाहन के पास खड़े व्यक्ति को देकर उनका परिचय पुछने पर उन्होने अपना नाम श्री गोपालराम पुत्र श्री रामदेवराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम ढींगसरी तहसील लाडनु पुलिस थाना लाडनु जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज डीपो नागौर होना बताया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव की तरफ ईशारा कर श्री गोपालराम से पुछा गया कि क्या आप इन्हे जानते है तथा इनसे अभी कोई राशि प्राप्त की है। जिस पर श्री गोपालराम मौन रहा तथा कुछ समय रूक कर बताया कि इन्हें मैं जानता हूं यह श्री हरीप्रसाद है जिनकी फर्म अनहद ट्रेवल्स की बसे नागौर रोड़वेज डीपो से अनुबन्धित होकर विभिन्न रूटों पर चलती है। जिनको निर्बाध चलने देने की ऐवज में मन्थली के रूप में श्री हरीप्रसाद वैष्णव ने नागौर रोडवेज डीपो मैनेजर श्रीमती उषा आर चौधरी के लिये राशि 20000/–रूपये दिये है जो मैंने इनसे प्राप्त कर अपनी जैकेट के अन्दर की बायी जेब में रखे है। जिस पर वहां पर भीड़–भाड़ होने एवं सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री गोपालराम के दोनो हाथ उपस्थित जाब्ते से पकड़वाया जाकर अन्य जाब्ते को सरकारी एवं निजी वाहनों से पीछे–पीछे आने की हिदायत देकर मन् निरीक्षक पुलिस स्वतन्त्र गवाह श्री गौरव कुमार के आरोपी श्री गोपालराम को यथा स्थिति में परिवादी के निजी वाहन में बैठाकर मय परिवादी के रवाना होकर मूण्डवा चौराहा पर पहुंचा। जहां पर वाहनों को रोड़ के एक साईड में सुरक्षित खड़ा करवाकर परिवादी के निजी वाहन में ही बैठाकर आरोपी के मोबाईल नम्बर 9549546166 का स्पीकर ऑन कर श्रीमती उषा आर चौधरी के मोबाईल नं. 8094530010 पर वाट्सअप कॉल करवाकर वार्ता करवाई गई। वार्ता के दौरान आरोपी श्री गोपालराम द्वारा श्रीमती उषा आर चौधरी डीपो मैनेजर को कहा गया कि बाबु (हरीप्रसाद वैष्णव) की राशि प्राप्त हो गई है। जिस पर श्रीमती उषा आर चौधरी डीपो मैनेजर द्वारा कहा गया कि राशि किस बात की प्राप्त की है एवं फोन काट दिया। उक्त वार्ता कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई। तत्पश्चात अन्य जाब्ता व गवाह श्री लोकेश चान्दोरा को पीछे–पीछे वाहनों से आने की हिदायत कर मन् निरीक्षक पुलिस हमराह आरोपी श्री गोपालराम को यथा स्थिती में परिवादी के निजी वाहन में मय स्वतन्त्र गवाह श्री गौरव कुमार एवं परिवादी के मुण्डवा चौराहा से रवाना होकर पुलिस थाना सदर नागौर पहुंचा। जहां पर उपस्थित जाब्ते से स्वीकृति प्राप्त कर गाड़ी से ट्रेप बॉक्स मय ट्रेप सामग्री मंगवाकर आरोपी श्री गोपालराम के हाथ धोवन एवं बरामदगी रिश्वति राशि रूबरू गवाहान अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। ट्रेप बॉक्स में से दो कॉच के साफ गिलास निकालवाकर उसमें पीने का साफ पानी भरवाया गया। उक्त दोनो गिलासो में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर चम्मच से हिलाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तो दोनो गिलासो के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिसे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। एक गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण लिखकर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात् दूसरे कॉच के गिलास में तैयार रंगहीन घोल में आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.–1 व

एल.एच.–2 अंकित किया गया। तत्पश्चात गवाह श्री गौरव कुमार से आरोपी श्री गोपालराम की जामा तलाशी लिवाई तो पहनी हुई काले कलर की जैकेट जिस पर Calvin klein लिखा हुआ के अन्दर की बायी जेब से 500–500 रूपये का एक बण्डल मिला। उक्त राशि गवाह श्री गौरव कुमार से गिनती करवाने पर राशि 20000/–रूपये होना पाई गई। जिस पर पूर्व मुर्तिबा फर्दपेशकशी रिश्वति राशि एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी गवाह श्री लोकेश चान्दोरा को सुपुर्द कर फर्द में अंकित नोटो के नम्बरों का मिलान बरामद हुई रिश्वति राशि के नोटो के नम्बरो से करवाने पर नोटो के नम्बर हुबहु होना पाये गये। उक्त बरामदा रिश्वति राशि 20000/–रूपये को बतौर वजह सबूत कपड़े के टुकड़े के साथ सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित कर चिट पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात एक कॉच के साफ गिलास में पीने का साफ पानी भरवाया जाकर विधिवत सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल का रंग रंगहीन रहा। तत्पश्चात आरोपी के पहनी हुई जैकेट को उतरवायी जाकर उक्त जैकेट के अन्दर की बायी जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई को उल्टा करवाकर तैयार रंगहीन घोल में दो–तीन बार डुबोया जाकर धोवन लिया गया तो धोवन कर रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी उपस्थितगणो ने घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग–अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर सील मोहर कर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगणों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क जे–1 व जे–2 अंकित किया गया। उक्त जैकेट की जेब जहां से रिश्वति राशि बरामद हुई को उल्टा कर सुखाया गया एवं जेब पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगणों को हस्ताक्षर करवाकर उक्त जैकेट को एक कपड़े की सफेद थैली में डालकर सफेद थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अपने हस्ताक्षर कर सम्बन्धितगणों को हस्ताक्षर करवाकर कपड़े की थैली की सिलाई कर शील्ड मोहर किया जाकर मार्क जे अंकित किया गया। उक्त शील्डशुदा थैली को कब्जा ब्यूरो लिया गया। आरोपी श्री गोपालराम की जामा तलाशी में उपरोक्त बरामदा रिश्वति राशि के अलावा मिले एक ड्यूल सिम सैमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन जिसके आईएमईआई नम्बर 1. 354554105500316 2. 354555105500313 जिसमें एक सीम एयरटेल कम्पनी की जिसके नम्बर 9413300821 व दुसरी सीम जीओ कम्पनी की जिसके नम्बर 9549546166 होना पाये गये। उक्त मोबाईल प्रकरण में वांछित होने के कारण वजह सबुत कब्जा एसीबी लिया गया।इसके अलावा एक विभागीय पहचान पत्र मिला। जो बाद अवलोकन आरोपी श्री गोपालराम को लौटाया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के पास कोई संदिग्ध राशि, दस्तावेज नहीं मिले, ना ही कब्जा ब्यूरो लिये गये। तत्पश्चात आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक से परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव से प्राप्त की गई रिश्वति राशि के बारे में स्पष्टीकरण पुछा गया तो आरोपी श्री गोपालराम ने हरीप्रसाद वैष्णव से प्राप्त राशि 20000/–रूपये श्री हरीप्रसाद की फर्म अनहद ट्रैवल्स की नागौर रोड़वेज डीपों में अनुबन्धित बसों का निर्बाध संचालन होने देने एवं बसों का बार–बार रूट नहीं बदलने की ऐवज में मन्थली के रूप में श्रीमती उषा आर चौधरी नागौर रोड़वेज डीपो मैनेजर के कहने पर उनके लिये प्राप्त किये है जो राशि उन्ही को देनी है। मेरा उक्त राशि में कोई हिस्सा नहीं है। मैंने मात्र मेरे अधिकारी होने के नाते उनके कहने से श्री हरीप्रसाद से उक्त राशि प्राप्त की है जो उन्हीं की है। जिस पर पास ही बैठे परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव ने आरोपी श्री गोपालराम के स्वयं के लिये राशि प्राप्त नहीं करने के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि हमारी फर्म अनहद ट्रैवल्स की 7 बसे नागौर रोड़वेज डीपो से अनुबन्धित होकर विभिन्न रूटों पर संचालित होती है। पिछले कई महिनों से नागौर रोड़वेज डीपो मैनेजर श्रीमती उषा आर चौधरी हमारे फर्म की बसों के संचालन में अनावश्यक अवरोध उत्पन्न कर नोटिस आदि दिये जाकर बसों का रूट बार–बार बदलकर परेशान किया जा रहा है। दो महिने पूर्व श्रीमती उषा आर चौधरी द्वारा मेरी बसों का संचालन निर्वाद रूप से होने देने एवं बसों का रूट बार–बार नही बदलने की ऐवज में श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक के मार्फत 30000/–रूपये रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा रिश्वति राशि नहीं देने पर मेरी बसों का बार–बार रूट बदलकर मुझे परेशान किया गया। जिस पर मेरे द्वारा मजबुरन पूर्व में श्री गोपालराम के समक्ष श्रीमती उषा आर चौधरी को 30000/–रूपये बतौर रिश्वत राशि दी गई। तत्पश्चात 2 माह गुजरने के बाद श्रीमती उषा आर चौधरी द्वारा कहने पर श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक ने मनथली के रूप में 15000/–रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 30000/–रूपये मेरे से रिश्वत की मांग की। जिस पर मैने राशि कम करने का निवेदन करने पर श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक ने मन्थली के रूप में 10000/–रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 2 माह के 20000/–रूपये श्रीमती उषा आर चौधरी डीपो मैनेजर के लिये व 200 रूपये प्रति गाड़ी के हिसाब 1400/–रूपये अपने लिये रिश्वत की मांग की। जिस पर मेरे पास 20000/–रूपये की व्यवस्था होने पर आज दिनांक 08.02.2023 को वक्त ट्रेप कार्यवाही श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक ने मेरे से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई जैकेट के अन्दर की बायी जेब में रखे। समस्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वति राशि एवं हाथ धोवन पृथक से मुर्तिब की गई। तत्पश्चात् मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा लिये गये प्रार्दश, बरामद रिश्वति राशि एवं ट्रेप सामग्री को सुरक्षित हालात में श्री मेघराज हैडकानि. व श्रीमती सीता महिला कानि. को सुरक्षार्थ सुपुर्द कर हमराह दस्तयाब शुदा मुलजिम श्री गोपालराम एवं स्वतन्त्र गवाहन, परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव एवं शेष ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहन से रवाना होकर रोड़वेज डीपो नागौर के पास पहुंचा जहां पर दस्तयाब शुदा मुलजिम को जाब्ते की निगरानी में वाहन में रखा जाकर परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाहान को

लेकर घटना स्थल पर पहुंचाकर वक्त 05.10 पी.एम. पर रूबरू मौतबिरान परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण फर्द नक्शा मौका एवं निरीक्षण घटना स्थल मुर्तिब की गई। वक्त 05.22 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस दोनो स्वतन्त्र गवाहान, मय दस्तयाबशुदा आरोपी श्री गोपालराम को साथ लेकर कार्यालय मुख्य प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम नागौर पर पहुंचे जहां पर आरोपी के कार्यालय कक्ष मैं पहुंचकर आरोपी की उपस्थिति में खाना तलाशी कार्यालय कक्ष संस्थापन शाखा ली गई एवं खाना तलाशी के दौरान प्रकरण से सम्बन्धित मिले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां कब्जा ब्यूरो ली जाकर फर्द खाना तलाशी मुर्तिब की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय दस्तयाबशुदा मुलजिम एवं खाना तलाशी में जब्त किये दस्तावेज साथ लेकर मय परिवादी, स्तवन्त्र गवाहान मय जाब्ता के रोड़वेज डीपो नागौर से रवाना होकर पुलिस थाना सदर नागौर पहुंचा एवं समस्त प्रार्दश, रिश्वति राशि, ट्रेप सामग्री आदि अपनी निगरानी में ली एवं वक्त 06.45 पी.एम. पर रूबरू स्वतन्त्र गवाहान आरोपी श्री गोपालराम पुत्र श्री रामदेवराम जाति जाट उम्र 49 निवासी ग्राम ढींडसरा तहसील लाडनु जिला नागौर उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। मौके की कार्यवाही पूर्ण की जाकर वक्त 7.11 पी.एम. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय परिवादी, स्वतन्त्र गवाहान एवं समस्त हमराहयान तथा गिरफ्तारशुदा आरोप श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक के फर्दातानुसार मालखाना आईटम एवं ट्रेप सामग्री साथ लेकर पुलिस थाना सदर नागौर से जरिये सरकारी वाहन एवं मन् निरीक्षक पुलिस के निजी वाहन से कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर शहर के लिये रवाना होकर ब्यूरो चौकी जोधपुर पहुंचा तथा प्रकरण में जब्तशुदा आर्टिकल, आरोपी श्री गोपालराम के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा शीशीयां मार्क आर.एच. 1, आर.एच. 2, एल.एच. 1, एल.एच. 2, रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का धोवन मार्क जे–1, जे–2, बरामदा शील्ड चिट रिश्वति राशि 20,000/– रूपयें, एवं आरोपी के जैकेट का शील्डशुदा पैकेट मार्क– जे एवं आरोपी का जब्तशुदा मोबाईल इत्यादि मुताबिक फर्द समस्त मालखाना आर्टिकल मालखाना प्रभारी श्री रूपसिंह हैडकानि. नं. 91 को सुरक्षित सम्भलाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस के कब्जे में सुरक्षित रखा गया। वक्त 10.57 पी.एम पर आरोपी श्री गोपालराम का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने श्रीमान मेडीकल ऑफिसर राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय पावटा जोधपुर व बाद स्वास्थ्य परीक्षण पुलिस थाना उदयमन्दिर की सुरक्षित हवालात में जमा कराने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना उदयमन्दिर के नाम पृथक–पृथक तहरीर लिखकर श्री रामकिशोर हैडकानि., मय जाब्ता एवं गिरफ्तार शुदा मुलजिम के सरकारी वाहन के भेजा जाकर बाद स्वास्थ्य परीक्षण के मुलजिम को पुलिस थाना उदयमन्दिर के हवालात में जमा करवाकर प्राप्ति एवं मुलजिम श्री गोपालराम की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई। दिनांक 09.02.2023 को वक्त 09.15 ए.एम. पर पूर्व पाबन्दशुदा स्वतन्त्र गवाहान श्री गौरव कुमार व श्री लोकेश चान्दोरा उपस्थित आये तथा परिवादी कार्यालय के पास नीचे उपस्थित आया एवं मन् निरीक्षक पुलिस को अपनी उपस्थिति के बारे में सुचित किया। चुकिं परिवादी की उपस्थिति में फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वति राशि मांग सत्यापन एवं फर्द ट्रान्सक्रिप्ट रिश्वति लेन–देन तैयार की जानी है मगर परिवादी का पैर फैक्चर होने के कारण भवन के प्रथम तल पर स्थित कार्यालय में उपस्थित नहीं होने की मजबुरी होने के फलस्वरूप मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय का डिजीटल ट्रेप रिकार्डर जिसमें उक्त वार्ताएं है को साथ लेकर हमराह श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक, परिवादी श्री हरीप्रसाद एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय उप महानिरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर पहुंचे। वक्त 09.20 ए.एम. पर परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव एवं आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक के मध्य हुई वक्त रिश्वती राशि मांग सत्यापन मोबाईल/रूबरू वार्तालाप दिनांक 06.02.2023 जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त रिकार्ड वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर वार्तालाप को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर, फर्द पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ता में अपनी व आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव ने की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। उक्त तीनो सीडीयों में से एक सीडी को मूल मानकर सीडी को कपडे की थैली मे डालकर कपड़े की थैली की सिलाई की गई एवं सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। शेष दो सीडीया डब सीडीया मानते हुए खुली हालात में रहने दी गई। इसके बाद वक्त 11.10 ए. एम. पर परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव एवं आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक के मध्य दिनांक 07.02.2023 व दिनांक 08.02.2023 को हुई रिश्वती राशि लेन–देन से पूर्व मोबाईल पर वार्ता एवं वक्त लेन–देन हुई रूबरू वार्तालाप जो डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड हैं। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्ड वार्तालापों को दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर वार्तालापों को सुन–सुन कर हुबहु फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की जाकर, फर्द पर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त रिकार्ड वार्ताओं में अपनी व आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव ने की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से तीन सीडीयां तैयार की। उक्त

तीनो सीडीयों में से एक सीडी को मूल मानकर सीडी को कपडे की थैली मे डालकर कपड़े की थैली की सिलाई की गई एवं सील मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर मन् निरीक्षक पुलिस ने अपने हस्ताक्षर कर संबंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये गये। शेष दो सीडीया डब सीडीया मानते हुए खुली हालात में रहने दी गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस मय मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट मय एक मूल शील्डशुदा सीडी एवं दो डब सीडीयां खुली हालात में एवं रिश्वति राशि लेन–देन पूर्व व वक्त लेन–देन वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट की एक मूल शील्डशुदा सीडी एवं दो डब सीडीया खुली हालात में हमराह श्री गणेशराम वरिष्ठ सहायक को लेकर ब्यूरो कार्यालय पहुंचा एवं उक्त 2 शील्डशुदा मूल सीडीया एवं 4 डब सीडीया खुली हालात मालखाना प्रभारी श्री रूपसिंह हैडकानि. नं. 91 को सुपुर्द कर, मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर मालखाना में जमा करवाई गई।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव की फर्म अनहद ट्रेवल्स की 7 बसें नागौर रोड़वेज डीपो से अनुबन्धित कर रखी है। उक्त बसों का निर्वाद संचालन होने देने एवं बसों का बार–बार रूट नहीं बदलने की ऐवज में वक्त रिश्वति राशि मांग सत्यापन दिनांक 06.02.2023 को परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव से आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक रोडवेज डीपो नागौर द्वारा अपने लिये प्रतिबस 200–200 रूपये के हिसाब से 7 बसों के 1400/–रूपये एवं 10000/–रूपये प्रतिमाह मनथली के रूप में दो माह के 20000/–रूपये श्रीमती उषा आर चौधरी रोडवेज डीपो मैनेजर नागौर के लिये रिश्वति राशि की मांग करना। जिस पर दिनांक 08.02.2023 को दो स्वतन्त्र गवाहान के रुबरु ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक को रोड़वेज डीपो नागौर के पास वाली गली में खड़ी परिवादी की गाड़ी में बैठे परिवादी श्री हरीप्रसाद वैष्णव से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाकर आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक के दोनो हाथों एवं रिश्वत राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई जैकेट के अन्दर की बायी जेब का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग क्रमशः मटैमेला एवं हल्का गुलाबी होना पाया गया। जिस पर आरोपी श्री गोपालराम पुत्र श्री रामदेवराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम ढींगसरी तहसील लाडनु पुलिस थाना लाडनु जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज डीपो नागौर को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री गोपालराम कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज डीपो नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया।

अतः श्री गोपालराम पुत्र श्री रामदेवराम जाति जाट उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम ढींगसरी तहसील लाडनु पुलिस थाना लाडनु जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज डीपो नागौर के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(मनीष वैष्णव)

निरीक्षक पुलिस

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

जोधपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री गोपालराम पुत्र श्री रामदेवराम, कनिष्ठ सहायक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज डीपो, नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 34/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

9.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 263-66 दिनांक 9.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कम संख्या-1, जोधपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
3. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोड़वेज डीपो, नागौर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।

9.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।